FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगणः— बनाम अप्रार्थीगण

हीरालाल पुत्र गमनाराम जाति सिरवी निवासी बिलावास तह0 सोजत जिला पाली — 1. तहसीलदार, सोजत

किस्म मुकद्दमा— राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 एल0आर0एक्ट0 1956 नबर. 29..सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
14/08/20	वकील प्रार्थीगण उपस्थित वकील प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है । राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 31/08/20 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत	
31/08/20	अधिवक्ता प्रार्थीगण अप्रार्थी तहसीदार, सोजत उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत को जारी नोटिसेज बाद तामिल प्राप्त हुआ, सा0मि0 हो। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, सा0मि0 हो। वहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार ,सोजत सुनी गई व समायत की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने एक राजस्व विविध प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी तहसीलदार , सोजत के इस आश्य का पेश किया कि मौजा ग्राम बिलावास में प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान की कृषि भूमि खाता संख्या 844 खसरा नम्बर 2617/4869 रकबा 0.0400 हैक्टर आयी हुई स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी बतौर 1/2 हिस्से का खातेदार है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा बिना प्रार्थी के सही व वास्तविक नाम के दस्तावेजात का अवलोकन किये रिलफ ऑफ पैन व सद्भाविक भूलवश प्रार्थी का नाम हीरालाल पुत्र गमनाराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में हीरा पुत्र गमना इन्द्राज कर दिया गया, जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम गॉव परिवार व समाज में हीरालाल पुत्र गमनाराम के नाम से भी जाना पहिचाना जाता है। प्रार्थी के स्वयं के मतदाता पहिचान पत्र, आधार कार्ड, गैस उपभौक्ता डायरी एवं अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम हीरालाल पुत्र गमनाराम दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति इस नाम से खातेदार नही है। वर्तमान में ऋण की आवश्यकता होने पर पटवारी हल्का से जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर प्रार्थी को यह जानकारी प्राप्त हुई। जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराने का अधिकारी है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात प्रस्तुत कर ग्राम बिलावास के खसरा संख्या 2617/4869 की भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का गलत रूप से इन्द्राज नाम हीरा पुत्र गुमना के स्थान पर सही व वास्तविक हीरालाल पुत्र गमनाराम दर्ज कर दुरूस्त प्रवृष्टि किये जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थी	

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

Scanned with CamScanner

तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 31.08.2020 को पेश कर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में हीरा पुत्र गमना के स्थान पर हीरालाल पुत्र गमनाराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने में कोई आपति नही होना अंकित किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत 2066 – 69 , व आधार कार्ड की छाया प्रतियां पेश की है। इसके अतिरिक्त न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.07.2019 की छाया प्रति पेश की है, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण का नाम गलत रूप से दर्ज हीरा पुत्र गमना के स्थान पर सही व वास्तविक हीरालाल पुत्र गमनाराम दुरूस्त प्रवृष्टि किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार(लैण्ड होल्डर)सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत शपथ पत्रं का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी का नाम आधार कार्ड में हीरालाल पुत्र गमनाराम दर्ज है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी का ग्राम बिलावास की राजस्व भूमि खसरा नम्बर 626 से 628, 633, 651, 671, 672, 677, व 683 व खसरा नम्बर 109, 678, 3512, 4321, 4327, 4355, 4411, 4413, 4424, 4830/4355 की भूमि में भी प्रार्थी का नाम न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.07.2019 में हीराराम के स्थान पर हीरालाल किये जाने की पुष्टि होती है। अतः प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 2617/4869 के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हीरा पुत्र गमना के स्थान पर हीरालाल पुत्र गमनाराम दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेशः–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा–बिलावास, तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 844 के खसरा नम्बर 2617/4869 रकबा 0.0400 हैक्टर की कृषि जोत की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत रूप से दर्ज नाम हीरा पुत्र गमना के स्थान पर सही व व वास्तविक नाक की सपुष्टि हो जाने से हीरालाल पुत्र गमनाराम दुरूस्त प्रवृष्टि दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार, सोजत को दिये जाते है। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 31/08/20 को सरे ईजलासा मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.